पत्र सं0– वि० प्रा०(III) यो०–38 / 2018–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत 4 (चार) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में छात्र / छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू० 32,00,000=00 (बत्तीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 4 (चार) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा / दरभंगा / सुपौल एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में छात्र / छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू० 32,00,000=00 (बत्तीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा	8,00,000=00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा	8,00,000=00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, सुपौल	8,00,000=00
4	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफरपुर	8,00,000=00
	कुल	**32,00,000=00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0106– प्रमाण पत्र पाठ्क्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागारों से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि से पुस्तकों का क्रय संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि० प्रा०(III) यो०–38 / 2018– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(III) यो॰–38/2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, नवादा/दरभंगा/सुपौल एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(III) यो॰–38/2018– 205 /पटना, दिनांक– 15.1.019

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा/दरभंगा/सुपौल एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.19
सरकार के उप सचिव

15/01/19